संख्या-373/2016/217(1)/23-11-2016-1/2(176)/2016

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ:दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषय:- जनपद आगरा में एन0एच0-2 से एन0एच0-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी वाईपास) पर आगरा फोर्ट-अछनेरा रेल सेक्शन में रेलवे कि0मी0 11/5-6 के रेल समपार सं0-11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र सं0-947/प्रा0आगणन/आगरा/सेतु-6/15, दिनांक 04-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद आगरा में एन0एच0-2 से एन0एच0-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी वाईपास) पर आगरा फोर्ट-अछनेरा रेल सेक्शन में रेलवे कि0मी0 11/5-6 के रेल समपार सं0-11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की आंकलित लागत रू0 6009.21 लाख (रूपये साठ करोड़ नौ लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रू0 997.00 लाख (रूपया नौ करोड़ सत्तानवे लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	जनपद आगरा में एन0एच0-2 से एन0एच0-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर आगरा फोर्ट-अछनेरा रेल सेक्शन में रेलवे कि0मी0 11/5-6 के रेल समपार सं0-11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	6009.21	786.00	211.00	997.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

2/-

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction Unit, Agra

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में न रखी जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। फ्लाई ओवर की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0 वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा वाद में पुनरीक्षित प्रायोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियॉं तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत सर्विसेज शिफ्टिंग यथाविद्युत, टेलीफोन, वन एवं जल निगम के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(13) सेन्टेज चार्ज की धनराशि कार्यदायी संस्था/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को देय होगी।

(14) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(15) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra

3/-

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge ...

(16) विषयगत रेल उपरिगामी सेतु निर्माण की लागत के सापेक्ष अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए रेलवे अंश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

(17) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0517-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-19-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016वी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-3175/दस-16, दिनांक 75 दिसम्वर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-373/2016/217(1)/23-11-2016-1/2(176)/2016-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/ दितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त,/जिलाधिकारी, आगरा।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6- प्रवन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (पुल), उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।
8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8, उ0प्र0 शासन।
10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12- वेव मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- वेव अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
14- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction ...

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra